

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप्त-2) विभाग

क्रमांक :— प. 3(1)साप्र / 2 / 2012

जयपुर, दिनांक 16-8-12

—: आदेश :—

श्रीमति मेरी जोस, नर्स ग्रेड प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 72/2011 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2024 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर राजकीय आवास संख्या 4/गा/बी, बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन

OIC (C/Deb) आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।

3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा रूपी में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जे लेने तक की अवधि में आवंटी

निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी

के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आक्षित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास

निर्मित नहीं किया गया है।

9. श्रीमति मेरी जोस से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से

काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनपूल वैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग गिनी सचिवालय जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर।
4. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ-12003642 दिनांक 6.8.2012 के क्रम में।
5. नियन्त्रक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
6. अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
7. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकोष, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविंवि/जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कठौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त रख्या-6 की पालना को भी अगले में लावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वौकी, गांधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड में चस्पा करावें।
13. श्रीमति मेरी जोस, नर्स ग्रेड प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वौकी, गांधीनगर, जयपुर।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप्त-5) विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनपूल वैरवा)
शासन सहायक सचिव